(140)

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2010

10 COURT FEE भारत INDIA 10
दस रुपये
TEN RUPEES

निगरानी 862 - I/10

श्री प्रमोद कुमार जैन अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 17-6-10 को कैम्प उज्जैन पर प्रस्तुत किया। 17-6-10 कैम्प उज्जैन

**मानतीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, (म.प्र.)**

01. हरिराम पिता श्री भुवानजी कुलम्बी
02. भैरूलाल पिता श्री देवरामजी कुलंबी
03. रणछोड़ पिता श्री भुवानजी कुलम्बी

सभी निवासी ग्राम बाजनखेड़ा, तहसील व जिला रतलाम, (म.प्र.) ... **प्रार्थीगण**

**वि रु द्ध**

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा तहसीलदार साहब, रतलाम, (म.प्र.) ... **प्रतिप्रार्थी**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता**

निगरानी बनाराजगी, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 27/2007-08 में पारित आदेश दिनांकित 04.05.2010 जिसके द्वारा प्रार्थीगण की निगरानी निरस्त करते हुए न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय (श्री के.सी. जैन साहब) रतलाम द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2007 जिसके द्वारा तहसीलदार महोदय रतलाम द्वारा प्रकरण क्रमांक 120/बी-121/2005-06 में लगायी गई टीप दिनांकित 04.05.2007 को निरस्त नहीं किया गया और कन्फर्म किया गया।

P.K. Jain 17-6-10 प्रमोद कुमार जैन

हरिराम पाटीदार

**मान्यवर महोदय,**

प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार निगरानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है :-

४५०

149

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

---------

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-862-एक/2010

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **30-08-2019** | आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 12-08-2016 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।<br><br>**(महेश चंद्र चौधरी)**<br>**सदस्य** | |